न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–269/2023

शंकर साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

वैजुल कमर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
11.12.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 31.01.2025 को अंदर आदेश 06 नियम 17 व्य0प्र0सं0 के अनतर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 11.12.2025 को आदेश हेतु निश्चित है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.08.2024 को अपना ब्यान तहरीरी दाखिल किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण अपने ब्यान तहरीरी में खात सं0–201 के सर्वेहाल खतियान तपेसर कानु वो0 के नाम पर मुन्दर्ज होने का ब्यान किया है और खाता सं0–21 सिकमीदार सिताराम कानु के नाम पर गलती से मुन्दर्ज होने का ब्यान किया है। लेहाजा कुछ तथ्यों का ब्यान तहरीरी के आधार पर वाद पत्र में आना आवश्यक है। वाद पत्र के पारा नं0–07 के अंतिम लाईन में पूर्ण विराम के बाद पारा नं0– ‘‘07(क) इन तथ्यों को जोड़ा जाए ‘‘खाता सं0–201 की कुल भूमि का सिकमी खाता सं0–21 मुन्दर्ज हुआ था, जिसका विवरण खाता सं0–201 के खतियान वो खाता सं0–21 के खतियान में स्पष्ट रूप में दर्ज किया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में खाता सं0–201 शुन्य हो गया वो खतियानी रैयत सिताराम कानू वो0 खाता सं0–21 के निस्वत पूर्ण खतियानी रैयत के रूप में दखल कब्जा वो जोत आबाद में चले आये। लेहाजा खाता सं0–201 के खतियानी रैयत तपेसर कानु वो उनके वारिसानों को अर्जी नालिश मद नं0–02 वाली भूमि के निस्वत ना तो कोई दस्तावेज निष्पादित करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त था और अगर अर्जी नालिश मद नं0–02 वाली भूमि के निस्वद कोई दस्तावेज दाखिल किया जाता है तो वह महत फर्जी, बिना जरसमन और बिना अमल दरामद का है। दो किता बैनामा	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–269/2023

शंकर साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

वैजुल कमर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 11.12.2025	दस्तोवज दिनांक 15.07.1957 नविस्ते रामबरन साह वो दस्तावेज सं0–5955 वो 5956 बनाम शेख अब्दुल रहमान वो0 खात सं0–201 की भूमि के निस्वद निष्पादित किया गया है जो एक शुन्य दस्तावेज है। वादीगण की भूमि हड़पने के नियत से इसे निष्पादित कराया गया है जिसकी कोई पायबंदी वादीगण पर नहीं है। उपरोक्त बैनामा दस्तावेज के आधार पर अब्दुल रहमान को कभी भी एक क्षण के लिए भी दखल–कब्जा प्राप्त नहीं हुआ और न ही उनके मरने के बाद उनके वारिशानों को विवादित भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त हुआ और ना ही शेख अब्दुल रहमान के द्वारा तथाकथित बैनामा दस्तावेज के आधार पर बिक्री वाली भूमि पर बैदारों का कभी दखल कब्जा प्राप्त हुआ''। वादीगण अपने वाद पत्र के पारा नं0–12 में अनुतोष की याचिका की जिसमें अनुतोष(घ) के अंतिम लाईन में पूर्ण विराम के बाद जोड़ दिया जाए ''(ड0) बैनामा दस्तावेज दिनांक 15.07.1957 नविस्ते रामबरन साह वो0 बनाम शेख अब्दुल रहमान वो0 दो किता को फर्जी दस्तावेज सं075955 वो 5956 बेला जरसमन कभी अमल दरामद नहीं हुआ वो शुन्य दस्तावेज है, जिसका कोई पायबंदी वादीगण पर नहीं है, घोषित किया जाए।'' वादीगण अपने वाद पत्र के पारा नं0–12 में अनुतोष (ड0) के बाद अनुतोष ''(च) जोड़ दिया जाए। खाता सं0–201 के खतियान की कुल भूमि खाता सं0–21 सिकमी खाता मुन्दर्ज हुआ। बेवजह खाता सं0–201 एक शुन्य खतियान है, घोषित किया जाए। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण को अपने वाद पत्र में आवेदनानुसार संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 03.04.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादीगण का संशोधन आवेदन पोषणीय नहीं है। प्रस्तुत वाद में कुल तीन वादी है लेकिन आवेदन पर	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–269/2023

शंकर साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

वैजुल कमर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 11.12.2025	सिर्फ दो ही वादी का हस्ताक्षर और सत्यापन है। वाद पत्र के ड्राफ्टिंग के दौरान वादी के पास खाता सं0–201 का हाल सर्वे खयितान की प्रति उपलब्ध था, जिसका तजकरा वादी ने जान बुझकर वाद पत्र में नहीं किया है। वाद पत्र के पारा सं0–08 में वादीगण ने प्रतिवादीगण के कागजात अस्तित्व में होने के संबंध में अपनी मंशा जाहिर किया है लेकिन जान बुझकर वाद पत्र में ब्यान नहीं किया है। सारी बातों की जानकारी वादीगण को आरम्भ से ही है तथा वाद पत्र में जान बुझकर छिपाया है तथा ब्यान तहरीरी का सहारा लेकर यह संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का संशोधन आवेदन खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा एक संशोधन आवेदन दिनांक 31.01.2025 को अंदर आदेश 06 नियम 17 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया कि संशोधन आवेदन को स्वीकार करते हुए वादीगण को वाद पत्र में आवेदनानुसार संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि पक्षकार को ऐसे किसी भी संशोधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वाद से संबंधित प्रतीत होता हो, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। वादीगण द्वारा आवेदन में वर्णित संशोधन वाद से संबंधित प्रतीत होता है तथा इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 31.01.2025 को स्वीकार किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में आवेदनानुसार संशोधन करे।	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–269/2023

शंकर साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

वैजुल कमर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 11.12.2025	वाद दिनांक 17.02.2026 को अग्रीम वास्ते निश्चित किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	